

06-12-17

वकील कपी. वा स्वयं कपीलान्ट कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजे दिलई
गई। अपी. की ओर से कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः अपील अदम-हाजरी
व अदम-फैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर बॉड वकमील
जाह्ला दाखिल दफ्तर है।

समाप्त आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर